अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग,

क्रमांक प. 13(76)का./क–1/गो.प्र./2011 जयपुर, दिनांक 13 JAN 2016

समस्त अति. मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव/उप शासन सचिव,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)

विषयः– समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रतिवर्ष 1 जनवरी की स्थिति में 2015 (01.01.2016) की अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत करने बाबत।

महोदय,

आपका ध्यान इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 13(76)कार्मिक/क–1/गो.प्र./2011 दिनांक 14.04.2011, 17.05.2011, 21.06.2012, 29.10.12, 08.04.2013 एवं 25.06.14 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसके द्वारा सभी राजपत्रित अधिकारियों को प्रतिवर्ष 1 जनवरी की स्थिति में अचल संपति का विवरण प्रस्तुत किया जाने हेतु निर्देशित किया गया था। जो राजपत्रित अधिकारी अपना अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत नहीं करेंगे उनकी विजिलेंस क्लीयरेंस नहीं दिये जाने, पदोन्नति पर विचार नहीं किये जाने एवं अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही आगामी वेतनवृद्धि स्वीकृत किये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया था।

राज्य में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रतिवर्ष 1 जनवरी की स्थिति में अचल सम्पति विवरण 31 जनवरी तक सम्बन्धित विभाग को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। **अतः समस्त प्रशासनिक विभागों/विभागाध्यक्षों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि जिन राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपना अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है उन्हें विजीलेन्स क्लीयरेंस नहीं दी जाये। समस्त प्रशासनिक विभागों/विभागाध्यक्षों को यह भी निर्देश दिऐ जाते है कि अचल सम्पति विवरण के अभाव में पदोन्नति एवं आगामी एक जुलाई को दी जाने वाली वेतन वृद्धि पर विचार नहीं किया जावें।**

समस्त प्रशासनिक विभागों/विभागाध्यक्षों को निदेर्शित किया जाता है कि वे नोडल अधिकारियों को अचल सम्पति विवरण कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु निर्देशित करें।

इसकी पालना सुनिश्चित की जावें।

भवदीय,

(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव